समाहरणालय, कटिहार

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 115/आ0प्र0 दि0 13.12.2017 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शीर्ष –2245– उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–001– निदेशन तथा प्रकाशन, उपशीर्ष–0204 राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सुदृढ़ीकरण विपत्र कोड–39–2245800010204, मांग संख्या–39, विस्तृत शीर्ष–20, अन्स प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष–03 प्रशिक्षण व्यय के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन मो० 1,00,000.00 (एक लाख) रूपये में से निम्नांकित अंचल पदाधिकारियों एवं जिला नजारत उप समाहर्त्ता, कटिहार को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि का उप–आवंटन करते हुए निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

यह आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०– 356/आ0प्र0 दिनांक 03.11.2017 एवं 380/आ0प्र0 दिनांक 02.12.2017 द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत राशि में से उपावंटित की जा रही है। उक्त राशि बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

यह उपावंटन विभागीय पत्रांक 3421/आ0प्र0 दिनांक 21.11.2017 के आलोक में भूकम्प से बचाव संबंधी मॉकड्रील हेतु व्यय के लिए दी जा रही है।

उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को अचुक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

निदेश दिया जाता है कि उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय। यदि उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण **दिनांक 15.03.2018** तक निश्चित रूप से कर दें। कोषागार से राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय। यह आवंटन वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 {वि० (2)} दि0 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **व्यय होने वाली राशि के लिए तैयार किये गए विपत्र/विपत्रो के उपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से " 8000–आकस्मिकता निधि " अंकित कराया जाय।** राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निर्देशों को अक्षरशः पालन किया जाय। अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेदार होगें।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदा० का नाम	विभाग से प्राप्त आवंटन	शीर्ष–2245–80–001–0204 के अंतर्गत उपावंटित राशि			अवशेष राशि
			पूर्व उपावंटित राशि	वर्त्तमान उपावंटित राशि	कुल उपावंटित (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
1	अंचल पदा०, कटिहार		-	5,000.00	5,000.00	-
2	अचल पदा०, हसनगंज		-	3,000.00	3,000.00	-
3	अंचल पदा०, डंडखोरा		-	3,000.00	3,000.00	-
4	अ० पदा०, प्राणपुर		-	5,000.00	5,000.00	-
5	अं० पदा०, कोढ़ा		-	5,000.00	5,000.00	-
6	अचल पदा०, फलका		-	5,000.00	5,000.00	-
7	अंचल पदा०, समेली		-	3,000.00	3,000.00	-
8	अ० पदा०, कुर्सेला		-	3,000.00	3,000.00	-
9	अंचल पदा०, बरारी		-	5,000.00	5,000.00	-
10	अंचल पदा०, मनसाही		-	3,000.00	3,000.00	-
11	अंचल पदा०, मनिहारी		-	5,000.00	5,000.00	-
12	अ० पदा०, अमदाबाद		-	5,000.00	5,000.00	-
13	अ० पदा०, कदवा		-	5,000.00	5,000.00	-
14	अंचल पदा०,आजमनगर		-	5,000.00	5,000.00	-
15	अंचल पदा०, बारसोई		-	5,000.00	5,000.00	-
16	अ० पदा०, बलरामपुर		-	5,000.00	5,000.00	-
17	जिला नजारत कटिहार		-	30,000.00	30,000.00	-
	कुल–	**1,00,000.00**	**0.00**	**1,00,000.00**	**1,00,000.00**	**0.00**

मो० (एक लाख) रूपये मात्र।

15/3/18

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

E:\Gautam Data\T B Das\DM\Allotment Aadesh.doc

ज्ञापांक 420 / आ०प्र० II - I & V-05 / 2017 दिनांक 15/3/18

प्रतिलिपि :– सभी अंचल पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला नजारत उप समाहर्त्ता, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कटिहार एवं बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी०प्रबंधक, कटिहार को सूचनार्थ एवं अधोहस्ताक्षरी के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/3/18

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।